

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ७९/आवंटन,

सं ० सं०-०५/३० नि० ब० (आवंटन) ३०/२०१८

प्रेषक,

सेवा में,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सहायक निदेशक (तक०),  
तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-४८५१-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-००, लघुशीर्ष-१०२-लघु उद्योग, मांग संख्या-२३, उपशीर्ष-०१०२-टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, विपत्र कोड-२३-४८५१००१०२०१०२, विषय शीर्ष ०१०२.५३.०१-मुख्य निर्माण कार्य मद से वित्तीय वर्ष २०१८-१९ की योजना के अन्तर्गत टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, पटना के परिसर में मोडूलर शेड के निर्माण हेतु रु० १,००,००,०००/- (एक करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक २९ दि० ०३.०१.२०१९ के आलोक में हेतु रु० १,००,००,०००/- (एक करोड़) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

२ इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष ४८५१-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-००, लघुशीर्ष-१०२-लघु उद्योग, मांग संख्या-२३, उपशीर्ष-०१०२-टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, विपत्र कोड-२३-४८५१००१०२०१०२, विषय शीर्ष ०१०२.५३.०१ -मुख्य निर्माण कार्य मद से विकलित होगा।

३ राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक २५६१ वि०(२) दिनांक १७ अप्रैल, १९९८ एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

४ राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :—  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-१ के नियम ४७५ का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

५ राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

६ व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

७ उक्त आवंटित राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन १५ मार्च २०१९ तक अवश्य भेज दें।

८ आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक २९ दिनांक ०३.०१.२०१९ में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

४२९/११९  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ० पृ० ३०

ज्ञापांक 79/अ/वटन

प्रतिलिपि :-

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक ५.१.१९

८१६/११९  
जिल्हा उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 79/अ/वटन

प्रतिलिपि :-

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-०५(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक ५.१.१९

८१७/११९  
जिल्हा उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।